नाबार्ड
न्यूजलेटर
खण्ड -21 अक्तूबर 2010 संख्या -7

संगठनात्मक विकास सहयोग (ओडीआई) - दिशानिर्देश

समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों दोनों के लिए एक ही मानक नाम ''ओडीआई'' का प्रयोग किया जाए. अत: हम सूचित करते है कि अब से सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इन कार्यक्रम हेतु सभी पत्राचार में ''ओडीआई'' नाम समान रुप से प्रयोग किया जाए.

(संदर्भ सं.एनबी.आईडीडी.कोऑप/ 1185 / ओडीआई-8/2010-11 दिनांक 04 अक्तूबर 2010
परिपत्र सं.191 /आईडीडी-10 /2010)

अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए पुनरुत्थान पैकेज - मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को पुन:पूँजीकरण सहायता जारी करने के लिए प्रक्रिया

पैक्स के पुन:पूँजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके अगले टियर अर्थात् मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अतिदेयताओं का निपटान करना होगा. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को पुन:पूँजीकरण सहायता जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है.

2. क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रत्येक मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संबंध में पुन:पूँजीकरण की राशि जिसमें संचित हानियाँ और सीआरएआर राशि शामिल है (जैसा कि विशेष लेखा परीक्षा फॉर्मेट की तालिका I में गणना की गई है) को संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चालू खाते में जमा करने हेतु संवितरित करेगा. इस संबंध में पास की जाने वाली प्रविष्टियाँ परिपत्र के अनुबंध I में दी गई हैं.

3. भारत सरकार और राज्य सरकार से संवितरणों की जानकारी का ट्रैक रखने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि परिपत्र के अनुबंध II के अनुसार राज्य सहकारी बैंक में पात्र वित्तीय सहायता और भारत सरकार और राज्य सरकारों के अंशदान से किए गए संवितरणों का रजिस्टर के रूप में मध्यवर्ती सहकारी बैंक-वार रिकार्ड रखा जाए. इस संबंध में, संबंधित राज्य सहकारी बैंक भी इस बात के लिए 10 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करेगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त पुन:पूँजीकरण सहायता मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चालू खाते में उचित रूप से जमा की गई है. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी फॉर्मेट परिपत्र के अनुबंध III में दिया गया है.

4. राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति सनदी लेखाकार के माध्यम से पंद्रह दिनों के भीतर पुन:पूँजीकरण सहायता (भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंशदान) जमा हुई है या नहीं इस बात के सत्यापन की व्यवस्था करेगी. सनदी लेखाकार राज्य सहकारी बैंकों को जारी किए गए प्रमाणपत्र की पुष्टि करेंगे. इसके बाद, संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंक के खाते में पुन:पूँजीकरण सहायता जारी करने और जमा करने संबंधित मामले पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति में चर्चा हो और उसका उचितरूप से रिकार्ड रखा जाए.

(संदर्भ सं.एनबी.डीसीआरआर / 569 /डी-1 और डी- 6 / 2010 दिनांक 05 अक्तूबर 2010 परिपत्र सं. 192/ .डीसीआरआर- 03/ 2010)

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - अर्द्धवार्षिक समीक्षा

यह स्पष्ट किया जाता है कि :

क) 30 सितम्बर 2010 को तथा भविष्य में भी अर्द्धवार्षिक समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे दिनांक 16 जून 2009 के परिपत्र द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का पालन करें.

ख) अर्द्धवार्षिक समीक्षा उन केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी है जिन्हें पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया था. अगर मार्च की समाप्ति पर लेखापरीक्षकों के उस दल की कार्यावधि समाप्त हो गई हो तो भी अर्द्धवार्षिक समीक्षा का कार्य करने के लिए उन्हीं लेखापरीक्षकों को सूचित किया जाए क्योंकि लेखापरीक्षकों का नया पैनल जनवरी के बाद ही उपलबध होता है.

ग) अर्द्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट केवल नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को ही भेजी जाए.

(राबैं.डॉस.प्रका.पॉलिसी/ 2898 /जे-1/ 2010-11 दिनांक 29 अक्तूबर 2010 परिपत्र सं. 198 /पर्यवेक्षण विभाग - 23 /2010)

ग्रामीण आवास और ग्रामीण पर्यावास (हैबिटैट) विकास के लिए बैंक वित्त - प्रस्ताव मंजूर करने के लिए मॉडल फार्मेट

दिनांक 19 फरवरी 2010 के हमारे परिपत्र सं. एनबी.डीपीडी-एनएफएस/2104/आरएच-1/2009-10 के अनुवर्ती क्रम में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं:

1. आवास ऋण मंजूर करने के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करते समय यह वांछनीय है कि ऋण कवरेज अनुपातों, प्रति व्यक्ति अवशिष्ट आय (आरआईपीपी), आदि जैसे वित्तीय अनुपातों की गणना की जाए और उसके आधार पर ऋण मंजूर करने का निर्णय लिया जाए.
2. उधारकर्ता से गिरवी का ज्ञापन भी निर्धारित मॉडल फार्मेट के अनुसार प्राप्त करें. बैंक की नीति और अन्य सांविधिक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें. स्टॅम्प ड्यूटी आदि के बारे में राज्य के क्षेत्राधिकार में लागू विभिन्न अधिनियमों के अनुसार निर्णय लिया जाए.

(संदर्भ सं.एनबी.डीपीडी-एनएफएस / 980 / आरएच-1 / 2010-11 दिनांक 08 अक्तूबर 2010परिपत्र सं. 196 /डीपीडी-एनएफएस - 03 / 2010)

सम्पादकीय बोर्ड-एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए ***बी.जयरामन*** *द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*